

## New License for Marketing of Seeds

<b>Application format for the Type of the License</b>	<b>Form A</b>
<b>List of Annexures</b>	<b>Challan of Rs. 1000/-</b>
	<b>2 Photograph</b>
	<b>Affidavit</b>
	<b>Authorization Certificate (For Company)</b>
	<b>Memorandum of Association (if company is registered under company act)</b>

## बीज अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु जाँच पत्र

बीज (नियंत्रण) 1983 की धारा (1) और 7 (2) के अनुसार बीजों के विक्रय, निर्यात या आयात करने हेतु नवीकरण की शर्तें—

विवरण	पृष्ठ सं०	स्थिति
<p>I. प्रपत्र 'सी' में आवेदन दो प्रतियों में भरकर अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने की तिथि के पूर्व दो फोटो सहित समर्पित करना—</p> <p>II. नवीकरण शुल्क रू० 20/- (बीस रुपये) कोषागार चालान के रूप में)</p> <p>III. विलंब शुल्क—यदि अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि के पूर्व आवेदन समर्पित नहीं किया जाता हो तो एक माह के अंदर 25 (पच्चीस रुपये) विलंब शुल्क सहित आवेदन स्वीकार्य होगा—</p> <p>IV. नवीकरण आवेदन के साथ विगत 6 माह का बिक्री प्रतिवेदन कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराने का साक्ष्य संलग्न करना होगा।</p> <p><b>अन्य शर्तें—</b></p> <p>यदि निम्नांकित त्रुटियां हो तो अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर विचार नहीं किया जायेगा—</p> <p>I. आवेदन को पूर्व में प्रदत्त अनुज्ञप्ति निलंबन अवधि के अन्तर्गत हो—</p> <p>II. आवेदन की अनुज्ञप्ति विगत एक वर्ष के अंदर रद्द किया गया हो—</p> <p>III. आवश्यक वस्तु अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्गत अन्य आदेश के तहत आवेदन की तिथि से विगत तीन वर्षों के दौरान दोषी नहीं ठहराये जाने संबंधी शपथ पत्र।</p> <p>IV. यदि किसी कम्पनी का एक मौसम में एक फसल का एक से अधिक नमूना अमानक पाया जाता है तो अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जायेगा।</p> <p>V. शपथ पत्र में इस बात का भी उल्लेख रहेगा कि प्रतिष्ठान द्वारा अनुज्ञप्ति में दी गयी सभी शर्तों का पालन किया गया है।</p> <p>VI. मूल अनुज्ञप्ति में दिये गये विवरण के अलावा कोई अन्य फसल प्रभेद के बीज का व्यवसाय करना हो तो इसके लिए राज्य के लिए फसल प्रभेद के बीज उपयुक्त है का ब्रीडर/अधिसूचना/कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा ट्रायल के आधार पर अनुशंसा एवं प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।</p> <p>जो कम्पनी अपने स्वयं के विकसित फसल प्रभेद के बीज का व्यवसाय मूल अनुज्ञप्ति में दिये गये विवरण के अलावा करना चाहते हैं तो उन्हें उक्त फसल प्रभेद के बीज व्यवसाय हेतु आवेदन देना होगा तथा उसका R&amp;D प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।</p> <p><b>औपबन्धिक शर्तें—</b></p> <p><b>स्थल जाँच—</b>बीज अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु व्यवसाय के कार्यालय एवं गोदाम का स्थल जाँच जिला कृषि पदाधिकारी/अन्य घोषित बीज निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन।</p>		

सहायक  
प्रशाखा-9

प्रशाखा पदा०  
प्रशाखा-9

उ०नि०(शैष्य) बीज  
बिहार, पटना

सं०कृ०नि०(उपा०)  
बिहार, पटना

कृषि निदेशक  
बिहार, पटना